न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 277/2013
RCMS Case No. 2013/00118

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
पोकरराम पुत्र हजारीराम जाति बावरी निवासी लिलाम्बा तहसील रायपुर		1. ग्राम पंचायत रायपुर जरिये सरपंच 2. श्रीमती महेश्वरी पुत्री घनश्यामसिंह पत्नी आशीष पंवार जाति राजपूत निवासी लिलाम्बा तहसील रायपुर वर्तमान पता परिवहन नगर, ए–7 झोटवाड़ा जयपुर 3. श्रीमती उम्मेश्वरी पुत्री घनश्यामसिंह पत्नी आदित्यसिंह जाति राजपूत निवासी लिलाम्बा हाल सर्व विद्या नगर, इन्दौर (मध्य प्रदेश)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996

उपस्थित :–
श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री मोहम्मद शरीफ़ काज़ी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20/02/2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत लिलाम्बा द्वारा मिसल संख्या 12/1987–88 के सम्बन्ध में पारित संकल्प संख्या 3 दिनांक 29.01.1988 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 29.04.1988 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर प्रार्थी का रहवासीय मकान बना हुआ हैं। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया हैं। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष न तो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा न ही किसी प्रकार का शुल्क जमा करवाया। ग्राम पंचायत द्वारा बिना मिसल कायम किए तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना किए बिना ही जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम पट्टा जारी किया गया है। जिस समय जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया

अति॰ जिला कलक्टर, पाली

गया, उस समय अप्रार्थी संख्या 2 व 3 नाबालिग थी, जो पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत नहीं कर सकती थी। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत से मिलावट कर प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जेर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 व 23 के नाम जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय बर में वाद विचाराधीन है तथा जहां विवादित आराजी के सम्बन्ध में सिविल वाद विचाराधीन हो, वहां सरसरी प्रक्रिया के तहत अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों का निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में साक्ष्यों एवं तनकीयात विनिश्चिय से ही संभव होगा। इस स्थिति में निगरानी खारिज़ योग्य हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता का भूखण्ड एवं मकान निर्मित हैं, जिसमें उनका रहवास हैं। उक्त भूमि एवं मकान का कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को सुपुर्द किया जा चुका है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड एवं मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि में विहित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा न होकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का रहवासी मकान हैं। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं हैं। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में दोनों ही पक्ष जैर निगरानी विवादित आराजी पर स्वयं का रहवासीय मकान होना बताते हैं। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर जाहिर किया कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे से सम्बन्धित कोई रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं हैं, जो जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसे संदेहास्पद बनाता हैं। इस कारण निगरानी स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे समुचित तथ्यों की जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही की जा सके एवं भूमि के वास्तविक हकदार के हित प्रभावित नहीं हो।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत लिलाम्बा द्वारा गिसल संख्या 12/1987–88 के सम्बन्ध में पारित संकल्प संख्या 3 दिनांक 29.01.1988 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 29.04.1988 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से

अति० जिला कलक्टर, पाली

160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति० जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/02/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति० जिला कलक्टर, पाली